न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

प्रार्थना पत्र संख्या– 121 /2025

तहसीलदार (भू.अ.) तहसील सिकराय, दौसा के पत्रांक भू–अ0/2025/2537 दिनांक 04.07.2025 द्वारा 'चालू स्थाई रास्तो का राजस्व अभिलेख में रास्ते का अंकन करवाने बाबत।

प्रार्थना पत्र अंतर्गत राजस्थान भू0 राजस्थान अधिनियम के द्वारा 131,132 संपठित भू0 अभिलेख नियम 1957 के नियम 58,60,66,86 के प्रावधानानुसार

निर्णय दि0 03/11/2025

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार सिकराय दौसा के पत्रांक भू–अ0/2025/2537 दिनांक 04.07.2025 के द्वारा रास्ते संबंधी समस्याओं का निराकरण में राजस्व अभिलेख में रास्ते का अंकन करवाने बाबत प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। जिसमें अंकित किया गया है कि ग्राम भालपुर के ख. न. 206, 230, 210, 244, 250 में से 4 मीटर चौडा एवं 650 मीटर लम्बा कुल 26 एयर भूमि निजी खातेदारी भूमि है जो मौके पर चालू रास्ता है।
चुंकि मौके पर यह चालू रास्ता आवागमन के रूप में उपयोग किया जा रहा है तथा भूमि का भौतिक स्वरूप भी परिवर्तित हो चुका है। मौके पर रास्ता है राजस्व मण्डल अजमेर के निर्देशानुसार मौके पर चाले रास्तों को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाना आवश्यक है जिससे कि राजस्व रिकार्ड की मौका एवं नक्शों की स्थिति अद्यतन रह सके।
पत्रावली मे उपलब्ध रिपोर्ट तहसीलदार सिकराय एवं जमाबंदी तथा संलग्न नक्शों का अवलोकन किया गया उक्त प्रस्तावित रास्ता मुताबिक तहसीलदार सिकराय मौके पर कच्चे रास्ते के रूप में बना हुआ है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि मौके पर चालू उक्त रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अमल किया जाना हमारी राय में आवश्यक है।
अतः राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम की धारा 131,132 संपठित भू0 अभिलेख नियम 1957 के नियम 18,59,60,66,86 के प्रावधानानुसार एवं राजस्थान सरकार राजस्व ग्रुप के परिपत्र क्रमांक प–3(17) राज–6/21/91 दिनांक 30 सितम्बर 2021 के बिन्दुं सं0 4 (2) के तहत ग्राम भालपुर के ख. न. 206, 230, 210, 244, 250 में से 4 मीटर चौडा एवं 650 मीटर लम्बा कुल 26 एयर भूमि जो कि मौके पर चालू रास्ता है जो निजी खातेदारी भूमि खातेदारों के नाम से है। तहसीलदार सिकराय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं संलग्न नक्शों के अनुसार भूमि की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश तहसीलदार सिकराय को दिये जाते है। तहसीलदार सिकराय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं संलग्न नक्शा आदेश का भाग रहेगा। रास्ते की भूमि निजी खातेदारों के नाम से रहेगी तथा बटा न. डालकर तदानुसार रिकार्ड मे अमल कर पालना से अवगत करावें। निर्णय आज खुला न्यायालय में सुनाया गया।

डॉ0 नवनीत कुमार
उपखण्ड अधिकारी
सिकराय

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा